

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम चित्तौड़गढ़

कालुराम वगैराह

बनाम

गोपाललाल वगैराह

किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्र (विविध)

नं० **039**सन् **2020**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20.04.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी दीपक शर्मा हाजिर। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 015/2017(रा.अ.) अनवानी कालुराम वगैराह बनाम गोपाल वगैराह निर्णय दिनांक 21.01.2020 को पुनः सुनवाई हेतु संस्थित किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा अपील को पुनः सुनवाई हेतु आवेदन दिनांक 11.02.2020 को पेश किया जो कि अन्दर मियाद अवधि में पेश किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा 015/2017(रा.अ.) अनवानी कालुराम वगैराह बनाम गोपाल वगैराह निर्णय दिनांक 21.01.2020 प्रार्थी के व्यतिक्रम में खारीज किया गया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नकल निर्णय दिनांक 21.01.2020 से प्रमाणित होता है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर नहीं किया जाकर व्यतिक्रम में किया गया है। इसके साथ ही हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाये जाने से प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण संख्या 015/2017 (रा.अ.) अनवानी कालुराम वगैराह बनाम गोपाल वगैराह निर्णय दिनांक 21.01.2020 को पुनः सुनवाई हेतु संस्थित किये जाने का अप्रार्थीगण की और से किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलत् वकील प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण संख्या 015/2017(रा.अ.) अनवानी कालुराम वगैराह बनाम गोपाल वगैराह निर्णय दिनांक 21.01.2020 को पुनः सुनवाई हेतु संस्थित किये जाने को स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण संख्या 015/2017(रा.अ.) अनवानी कालुराम वगैराह बनाम गोपाल वगैराह निर्णय दिनांक 21.01.2020 को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली को नियमानुसार पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 015/2017(रा.अ.) कालुराम वगैराह बनाम गोपाल वगैराह निर्णय दिनांक 21.01.2020 के साथ हम किता रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



-S/D-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़
20.04.2022